जगदीश चन्द्र पटनायक एवं अन्य,

बनाम

उड़ीसा राज्य एवं अन्य,

7 अप्रैल, 1998 को

[जी. बी. पटनायक और एम. श्रीनिवासन, जे. जे.]

सेवा विधि-

उड़ीसा अभियंताओं के सेवा नियम, 1941 -नियम 26

पारस्परिक वरिष्ठता-- "एक ही वर्ष में सीधे भर्ती के साथ पदोन्नत अधिकारियों के बीच"--अभिनिर्धारित-- "भर्ती" शब्द का अर्थ है "नियुक्त" और "वर्ष" शब्द का अर्थ है "कैलेंडर वर्ष"-- सीधी भर्ती से भर्ती तब की जाती है जब नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है, न कि तब जब भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाती है--इसलिए, कैलेंडर वर्ष के दौरान सीधे भर्ती से भर्ती किए गए व्यक्ति उसी कैलेंडर वर्ष के दौरान पदोन्नती द्वारा भर्ती किये गये व्यक्ति से कनिष्ठ होंगे-- इसके अतिरिक्त-- जब वरिष्ठता का निर्धारण किया जाता है तो सीधी भर्ती के लिए कोटा और कोटा के अधीन रिक्तियों का संदर्भ लिया जाना आवश्यक नहीं है।

प्रशासनिक अधिकरण अधिनयम की 1985: धारा 19 और 12

पुनर्विलोकन आवेदन-तीसरे पक्ष द्वारा दायर किया गया-विचारणीयता-तीसरे पक्ष ने मूल आवेदन भी दायर किया-अधिकरण ने पुनर्विलोकन आवेदन की अनुमति दी लेकिन मूल आवेदन को विचारणीय नहीं होने के कारण खारिज कर दिया--मूल आवेदन को खारिज करने के खिलाफ एस.एल.पी. दायर की गई -पुनर्विलोकन आवेदन के आदेश के खिलाफ भी अपील दायर की गई-- निर्धारित- क्योंकि पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है, इसलिए पुनर्विलोकन आवेदन की विचारणीयता संबंधी मुद्दे पर निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है।

क़ानूनों का निर्वचनः-

निर्वचन के शाब्दिक या साधारण व्याख्या के नियम की प्राथमिकता-अभिनिर्धारण -जब विधि में उपयोग की जाने वाली भाषा स्पष्ट है और विधि में शब्दों को एक साधारण व्याकरणिक अर्थ दिया जा रहा है, तो अंतिम परिणाम ना तो मनमाना और तर्कहीन है और ना ही कानून के उद्देश्य के विपरीत है, तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह विधि में उपयोग किए गए शब्दों को प्रभावी बनाए क्योंकि शब्द विधि बनाने वाले प्राधिकरण के आशय को सबसे अच्छा प्रख्यात करते हैं।

शब्द और वाक्यांशः

उड़ीसा इंजीनियर सेवा नियम, 1941 के नियम 26 के संदर्भ में "भर्ती" और "वर्ष" का अर्थ

उड़ीसा अभियंताओं के सेवा नियम, 1941 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा वर्ष 1978 के लिए रिक्तियों के खिलाफ सीधे सहायक अभियंता के रूप में अपीलार्थीगण को भर्ती किया गया था और वास्तव में उनकाे वर्ष 1980 में नियुक्त किया गया था । प्रत्यर्थीगण को सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था।

अपीलार्थीगण ने राज्य प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष एक मूल आवेदन दायर किया एवं दावा किया कि चूंकि अपीलार्थीगण को वर्ष 1978 की रिक्तियों के खिलाफ भर्ती किया गया था, इसलिए उसी अनुसार प्रतिवादी की तुलना में उनकी वरिष्ठता निर्धारित की जानी चाहिए, ना कि इस तथ्य से कि अपीलार्थीगण को वस्तुतः वर्ष 1980 में नियुक्त किया गया था। प्रत्यर्थीगण को उक्त कार्यवाही में पक्षकारों के रूप में स्थापित नही किया गया था। प्राधिकरण ने आवेदन काे स्वीकार किया।

उक्त आदेश से व्यथित होने के कारण प्रत्यर्थीगण द्वारा उपरोक्त आदेश की पुनर्विलोकन के लिए अधिकरण के समक्ष पुनर्विलोकन आवेदन दायर किया । प्रत्यर्थीगण ने अधिकरण के पुनर्विलोकन एक मूल आवेदन भी दायर किया। अधिकरण ने मूल आवेदन को विचारण योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। हालांकि, अधिकरण ने पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार

करते हुए अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थीगण को वर्ष 1978 की भर्तियों के रूप में नही माना जा सकता है जबकि वस्तुतः उन्हें वर्ष 1980 में नियुक्त किया गया था तभी से उनको भर्ती माना जाना चाहिए। अधिकरण ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थीगण वर्ष 1979 और 1980 के पदोन्नत प्रत्यर्थीगण से वरिष्ठ नहीं थे। मूल आवेदन को खारिज किया गया। इसलिए पुनर्विलोकन आदेश और मूल आवेदन के खारिज करने के विरूद्ध वर्तमान अपील की है।

अपीलार्थीगण की ओर से यह तर्क दिया गया कि अधिकरण के समक्ष पुनर्विलोकन आवेदन विचारणी योग्य नहीं था क्योंकि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन का निस्तारण हो चुका था; कि सेवा न्यायशास्त्र में अभिव्यक्ति "भर्ती" और "नियुक्ति" के बीच अंतर था और इसलिए, जब नियम 26 ने अभिव्यक्ति "भर्ती" का उपयोग किया तो यह नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले का एक चरण होना चाहिए और तार्किक रूप से इसका अर्थ यह होना चाहिए कि जब चयन प्रक्रिया शुरू हुई; और यह कि जिस वर्ष में रिक्तिया उत्पन्न हुई वरिष्ठता निर्धारण के लिए प्रासंगिक थे, चाहे व्यक्ति की किसी वर्ष में भर्ती हुई हो।

प्रत्यर्थीगण की ओर से यह तर्क दिया गया कि शब्द 'वर्ष' का अर्थ नियम 3 (च) के अधीन एक कैलेंडर वर्ष है और इसलिए, नियम 26 का

निरपेक्ष रूप से प्रभाव था कि जब अपीलार्थीगण और प्रत्यर्थीगण की भर्ती की गई थी उसी कैलेंडर वर्ष में प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीगण से वरिष्ठ होंगे

अपील को निरस्त करते हुए, **न्यायालय द्वारा**

अभीनिर्धारित:1.1 नियम 26 के अधीन, अभिव्यक्ति 'अधिकारीयों को पदोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किया जाता है' का आवश्यक रूप से जिसका अर्थ है कि जब उन्हें राज्य सरकार द्वारा सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त किया जाता है। नियम में कुछ और जोड़ना न तो न्याय के हित में होगा और ना ही यह किसी भी तरह से अनिवार्य है और यह न्यायालय द्वारा विधि बनाने के समान होगा। जब विधि में प्रयोग की गई भाषा स्पष्ट होती है और क़ानून में शब्दों को स्पष्ट व्याकरणिक अर्थ दिया जाता है, तो अंतिम परिणाम न तो मनमाना, तर्कहीन और ना ही विधि के उद्देश्य के विपरीत होता है, तब न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह क़ानून में प्रयुक्त शब्दों को प्रभावी बनाए क्योंकि विधि बनाने वाले प्राधिकारी के आशय को उसमें प्रयुक्त शब्द सर्वोत्तम रूप से प्रकट करते हैं। इस मामले में तो हमें सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों के लिए कोटा के प्रश्न पर जाने का कोई औचित्य दिखाई पडता है और ना ही यह पता लगाना आवश्यक है कि किस वर्ष रिक्ति निकली थी जिसके तहत भर्ती की गई थी। नियमों की व्यवस्था के विश्लेषण पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि अभिव्यक्ति 'भर्ती' का अर्थ नियुक्त किया जाएगा और नियम 26 में अभिव्यक्ति 'उसी वर्ष के

दौरान' का अर्थ कैलेंडर वर्ष के दौरान होगा और, इसलिए कि कैलेंडर वर्ष के दौरान भर्ती किए गए सीधी भर्ती वाले व्यक्ति उक्त कैलेंडर वर्ष के दौरान भर्ती किए गए पदोन्नत व्यक्ति से कनिष्ठ होंगे। नियम 26 के तहत पारस्परिक वरिष्ठता तय करते समय कोटा पर विचार नही किया जा सकता। सीधी भर्ती के अपीलार्थीगण की ओर से एेसी कोई शिकायत नहीं की गई है कि उनके लिए अनुमेय कोटा से परे कोई अतिरिक्त पदोन्नति हुई है और परिणामस्वरूप ऐसा कोई प्रश्न हमारे समक्ष अवधारण हेतु उत्पन्न नही रखा गया है।

1.2. इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि अभिव्यक्ति 'भर्ती' और 'नियुक्ति' की सेवा न्यायशास्त्र में दो अलग-अलग अवधारणाएँ हैं और इसलिए, जब नियम 26 'भर्ती' अभिव्यक्ति का उपयोग करता है, तो यह नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले का चरण होना चाहिए और तार्किक रूप से इसका यह अर्थ कि जब चयन प्रक्रिया शुरू हुई, होना चाहिए और नियमों की योजना में यह आशय नही है। नियमों की व्यवस्था के अधीन नियम 5 और नियम 6 से प्रदर्शित होता है कि किसी व्यक्ति को केवल सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त होने पर ही सेवा में भर्ती किया जा सकता है, यद्यपि सीधी भर्ती के मामले में भी भर्ती की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब लोक सेवा आयोग नियम 10 के अधीन आवेदन आमंत्रित करता है लेकिन जब तक कि सरकार नियम 15 के तहत अंतिम चयन नहीं करती है और

चयनित उम्मीदवारों की मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच के बाद उचित आदेश जारी नहीं करती है, तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति को सेवा में भर्ती किया जा चुका है। इसलिए यह मानना मुश्किल है कि वरिष्ठता नियम में शब्द 'भर्ती' का निर्वचन जब चयन प्रक्रिया वास्तव में शुरू हुई थी से निकाला जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त् उक्त अभिव्यक्ति'भर्ती' न केवल सीधे भर्ती किए गए लोगों पर बल्कि पदोन्नत लोगों पर भी लागू होती है। सीधी भर्ती के मामले में भर्ती की प्रक्रिया आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित करने के साथ शुरू होती है और पदोन्नत लोगों के मामले में यह नियम 16 के तहत मुख्य अभियंता द्वारा किए गए नामांकन के साथ शुरू होती है। तथापि सीधी भर्ती एवं पदोन्नतियों, दोनों के मामलों में अंतिम चयन क्रमशः नियम 15 और 18 के तहत राज्य सरकार के पास निहित है और जब तक कि ऐसा अंतिम चयन नहीं हो जाता और उस पर उचित आदेश पारित नहीं हो जाते, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यक्ति को सेवा में भर्ती किया गया है। नियम 26 का एकमात्र उचित और तार्किक अर्थानव्यन उस आदेश की तारीख है जिसके अधीन व्यक्तियों को सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त किया जाता है। उक्त नियम के अधीन वरिष्ठता के निर्धारण के लिए यह निर्णायक तिथि है।

1.3. इसमें कोई विवाद नहीं है कि जिस वर्ष रिक्ति निकलती है और जिस वर्ष निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन के लिए अंतिम भर्ती की जाती है,

उसके बीच कुछ समय का अंतराल होगा, लेकिन इससे न्यायालय को छेडछाड द्वारा कुछ ऐसा शामिल करने का मौका नहीं मिलेगा जो नियम 26 के अधीन वरिष्ठता के नियमों में नहीं है। उसके अधीन सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों के बीच पारस्परिक वरिष्ठता के निर्धारण के लिए जिस वर्ष रिक्ति निकली व उस रिक्ति पर भर्ती की गई है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें केवल इतना कहा गया है कि कैलेंडर वर्ष के दौरान सहायक अभियंता के कैडर में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति उक्त कैडर में पदोन्नत किए गए लोगों से कनिष्ठ होंगे। न्यायालय के लिए यह संभव नहीं है कि वह ऐसा कुछ जोडे जो नियम 26 में नही है और वरिष्ठता का एक नया नियम विरचित करें। इसलिए यह तर्क स्वीकार करना संभव नहीं है कि उस वर्ष के बारे मे विचार किये बिना जिसमे किसी व्यक्ति की भर्ती हुई हा े, जिस वर्ष में रिक्तियां हुईं वह वर्ष वरिष्ठता निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक है।

एस. जी. जयसिंघानी बनाम भारत संघ, [1967] 2 एससीआर 703; वी.बी. बादामी बनाम मैसूर राज्य, [1976] 1 एससीआर 815; ए. एन. सहगल बनाम राजे राम शेरोन, [1992] पूरक 1 एस. सी. सी. 304 सीधी भर्ती वर्ग II इंजीनियरिंग अधिकारी एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य, [1990] 2 एस. सी. सी. 715, लागू नहीं था।

टी. एन. सक्सेना बनाम यू.पी. राज्य, [1991] पूरक 2, एस. सी. सी. 551; एस. एस. बोला बनाम बी. सरदाना, [1997] 8 एस. सी. सी. 522, संदर्भित।

2. वर्तमान मामले में प्रत्यर्थीगण, जो पहले की कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे, ने ना केवल पुनर्विलोकन आवेदन दायर किया, बल्कि एक आत्मनिर्भर आवेदन भी दायर किया और जिस पर अधिकरण द्वारा यह विचार होता है कि आत्मनिर्भर आवेदन विचारण योग्य नहीं होगा, पहले के आदेश की पुनर्विलोकन की गई और आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। जबकि अपीलार्थीगण द्वारा अधिकरण के पुनर्विलोकन आदेश को चुनौती दी गई है, प्रत्यर्थीगण ने अधिकरण द्वारा उनके मूल आवेदन को खारिज करने के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की है। इस प्रकार पूरा विवाद इस न्यायालय के समक्ष है और इसलिए पुनर्विलोकन आवेदन के विचारणयीय होने से संबंधी मुद्दे पर निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है

के. अजीत बाबु बनाम भारत संघ, (1997) 6 एस.सी.सी. 473, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 9108/1995

उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण, भुवनेश्वर के दिनांकित 25.10.1994 के निर्णय और आदेश जो विविध याचिका संख्या- 3229/1992 से।

एम. के. बनर्जी, राजू रामचंदरन और अशोक कुमार गुप्ता, अपीलार्थीगण की ओर से।

जीएल सांघी, जनार्दन दास, अश्विनी कुमार मिश्रा और केएन त्रिपाठी, प्रत्यर्थीगण की ओर से।

पी.एन. मिश्रा, उड़ीसा राज्य की ओर से।

न्यायाधीश जी.बी. पटनायक द्वारा न्यायालय का निर्णय दिया गया।

विशेष अनुमित याचिका संख्या- 7071/1998 में अनुमित स्वीकार की गई।

यह अपील उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण की विविध याचिका सख्या 3229 सन 1992 मूल आवेदन संख्या 78 सन 1978 से उत्पन्न, पर किए गए आदेश दिनांक 25.10.1994 के विरूद्ध निर्देष्ट है। अपीलकर्ता सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और उड़ीसा लोक सेवा आयोग द्वारा उड़ीसा इंजीनियर्स सेवा नियम, 1941 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के अनुसार विधिवत चयन के बाद उड़ीसा राज्य में सिंचाई और बिजली विभाग में सिंचाई विंग में सहायक अभियंता के रूप में चयनित हुए थे। उत्तरदाता कनिष्ठ अभियंताओं और उप-सहायक अभियंताओं में से सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत व्यक्ति हैं। मूल अपील संख्या 78 सन 1978 सीधी भर्ती वाले सहायक इंजीनियरों द्वारा दायर की गयी थी, जिसमें अन्य

बातों के साथ-साथ यह दावा किया गया था कि ऐसे सीधी भर्ती वाले लोगों जिनकी नियुक्तियां वर्ष 1978 की रिक्तियों के विरुद्ध की गई हैं, उन्हें वर्ष 1978 की नियुक्तियों के रूप में माना जाना चाहिए और परिणामस्वरूप उनकी वरिष्ठता उसी आधार पर जिस पर वर्ष के पदोन्नत सहायक अभियंताओं की वरिष्ठता निर्धारित होनी चाहिए, इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें वास्तविकता में वर्ष 1980 में सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था। अधिकरण ने उक्त आवेदन को आदेश दिनांक 19.06.1992 द्वारा स्वीकार किया । यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1979 और 1980 के पदोन्नत सहायक अभियंताओं को उक्त कार्यवाही में पक्षकार के रूप में सारणीबद्ध नही किया गया था। चूंकि अधिकरण के आदेश दिनांक 19.06.1992 से पदोन्नत सहायक अभियंताओं, जिन्हें वर्ष 1979 और 1980 में पदोन्नत किया गया था, की वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव पडा, उन्होंने विविध याचिका दायर की, जो दिनांक 29.06.1992 के आदेश की के पुनर्विलोकन हेतु विविध याचिका क्रमांक 3229 सन 1992 के रूप में पंजीकृत की गई। उन्होंने अधिकरण के समक्ष एक मूल याचिका भी दायर की, जो कि मूल अपील क्रमांक 2325 सन 1992 के रूप में पंजीकृत की गयी थी। अधिकरण ने मूल आवेदन एवं साथ ही विविध याचिका का निपटारा यह कहते हुए किया कि मूल आवेदन सुनवाई योग्य नहीं होगा क्योंकि पारस्परिक वरिष्ठता का प्रश्न मूल अपील क्रमांक 73 सन 1989 के आदेश दिनांक 29.06.1992 द्वारा तय किया जा चुक है। हालाँकि, यह

निष्कर्ष निकला कि उक्त आदेश का पुनर्विलोकन विशिष्ठ रूप से तब स्वीकार्य है जब प्रभावित व्यक्तियों को पहले के निर्णय में पक्षकारों के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया हो। इसके पश्चात वरिष्ठता के नियम का निर्वचन करते हुए, विशेष रूप से नियमों के नियम 26 का , यह निष्कर्ष निकाला गया कि सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों को वर्ष 1978 की भर्ती के रूप में नहीं माना जा सकता और दूसरी तरफ, उन्हें वर्ष 1980 में भर्ती हुआ माना जाना चाहिए जब राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा मार्च 1980 में सीधी भर्ती वाले लोगों को सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त किया था। इसके पश्चात यह और भी अभिनिर्धारित किया गया किइस कारण ऐसे सीधी भर्ती वाले लोगों को वर्ष 1979 के पदोन्नत व्यक्तियों से वरिष्ठ नहीं माना जा सकता है और वे वर्ष 1980 के पदोन्नत व्यक्तियों से कनिष्ठ होंगे। पुर्व के आदेश दिनांक 29.6.1992 का पुनर्विलोकन करने वाला अधिकरण कापूर्वोक्त आदेश इस अपील में चुनौती का विषय है। पदोन्नत व्यक्तियों, जिनका मूल आवेदन क्रमांक 2325 सन 1992 पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया था, द्वारा भी अत्यधिक सावधानी के माध्यम से एक विशेष अनुमति याचिका भी दायर की थी और उस विशेष अनुमति याचिका को भी अभिलेख पर लिया गया था और उसकी वतर्मान अपील के समय सुनवाई की गई थी।

अधिकरण के आक्षेपित आदेश में निष्कर्ष निकालने वाले संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार वर्णित किए जा सकते है: -

वर्ष 1978 में उड़ीसा राज्य के सिंचाई विभाग के सिंचाई अनुभाग में सहायक अभियंताओं के पद पर चालीस रिक्तियां उपलब्ध थीं, जिनमें से 10 पद नियमों के नियम 7 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने थे। उड़ीसा लोक सेवा आयोग ने वर्ष 1979 में सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया और चयन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए नियमों के नियम 13 के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की और उक्त सूची को नवम्बर 1979 में किसी समय राज्य को सौंप दिया। राज्य सरकार ने अंततः नियम 15 के अनुसार अंतिम चयन किया और चयनित उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षण से गुजरना आवश्यक था और मार्च 1980 में नियुक्ति पत्र जारी किये गये। उसके बाद नियुक्त व्यक्तियों ने सहायक अभियंता के रूप में कार्य भार ग्रहण किया। उत्तरदाता जो कनिष्ठ अभियंता हैं, उन्हें 1979 और 1980 में अलग-अलग तिथियों, अर्थात् 27.8.1979, 27.11.1979, 04.02.1980, 04.11.1980 और 27.12.1980 को नियमों के अनुसार सहायक अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया था। जगदीश पटनायक अपीलार्थी क्रमांक-1, जो सहायक अभियंता के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त थे, ने राज्य प्रशासनिक अधिकरण में मूल आवेदन संख्या-78 सन 1989

को इस अनुतोष को प्राप्त करने के लिए दायर किया कि उसे सहायक अभियंता के पद पर 1978 में पदोन्नत किये गये सहायक अभियंताओं के नीचे से वरिष्ठता दी जानी चाहिए क्योंकि उन्हें वर्ष 1978 की रिक्तियों के विरूद्ध भर्ती किया गया था और विभाग की ओर से हुई देरी के लिए उसे परेशान नहीं किया जाना चाहिए। श्री पटनायक की ओर से उठाये गये आक्षेप कि उसे 1978 की एक रिक्ति के विरूद्ध चुना गया, को स्वीकार करने के लिए अधिकरण से आग्रह किया गया। इस तथ्य के बावजूद भी कि उसे 29 मार्च, 1980 की अधिसूचना द्वारा एक सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था, अधिकरण द्वारा यह निर्धारित किया गया कि सहायक सहायक अभियंता के कैडर में उसकी वरिष्ठता को वर्ष 1978 की भर्ती मानते हुए निर्धारित की जानी चाहिए। इसलिए अधिकरण ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वर्ष श्री पटनायक की वरिष्ठता सन 1978 में पदोन्नत सहायक अभियंताओं के नीचे तय करें। इस प्रक्रम पर यह कहा जा सकता है कि नियमों के नियम 26 , जो सीधी भर्ती वाले और पदोन्नति वाले सहायक इंजीनियरों की पारस्परिक वरिष्ठता से संबंधित है, के अधीन वर्ष के दौरान सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों को वर्ष के दौरान पदोन्नत किए गए अधिकारियों से वरिष्ठ माना जाएगा। अधिकरण के उपरोक्त निर्देश के क्रियान्वन के उपरान्त से वर्ष 1979-80 में पदोन्नत सहायक इंजीनियरों की वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, इसलिए उनके द्वारा जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अधिकरण के समक्ष पुनर्विलोकन

आवेदन और मूल आवेदन दोनों पेश किये और अधिकरण ने आक्षेपित आदेश द्वारा उनका निपटारा कर दिया।

अपीलार्थीओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मिलन बनर्जी ने तर्क प्रस्तुत कि नियमों के अधीन सीधी भर्ती के लिए और पदोन्नति के लिए तय कोटा किये गये है और उसी अनुसार नियुक्तियां की गई हैं, वर्ष 1978 में उपलब्ध कोटा के प्रतिकुल, सीधी भर्ती से नियुक्त किये गये एक व्यक्ति को, वर्ष 1979 या 1980 में पदोन्नत व्यक्ति से कनिष्ठ नहीं माना जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, हालांकि नियम 26 जो कि सहायक अभियंता के कैडर में सीधी भर्ती और पदोन्नत व्यक्तियों के बीच परस्पर वरिष्ठता के प्रश्न से संबंधित है उपरोक्त कोटा काे संदर्भ नहीं करता है, लेकिन एक बार नियुक्ति कोटा के आधार पर होती है तो परस्पर वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए बनाए गए नियम में शामिल किया जाना चाहिए और उस आधार पर अधिकरण के आक्षेपित आदेश को विधि में कायम नहीं रखा जा सकता है।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बेनर्जी ने और यह भी तर्क दिया कि सहायक अभियंता के कैडर में भर्ती दो अलग-अलग स्रोतों से की जा रही है और भर्ती नियमों में स्वयं विभिन्न स्रोतों से भर्ती का कोटा निर्धारित किया है, जिसमें वरिष्ठता को उक्त कोटे के आधार पर विनियमित किया जाना है। उक्त दृष्टिकोण से निर्णय लिया गया कि आक्षेपित आदेश कानून में चलने

योग्य नही है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बेनर्जी ने अन्त में कथन किया कि मूल आवेदन संख्या78 सन 1979 का निपटारा करने के पश्चात , अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए पुनर्विलोकन आवेदन पर विचार करते हुए अधिकरण इस मामले पर फिर से विचार नहीं कर सकता था और पहले वाले दृष्टिकोण और आक्षेपित आदेश की तुलना में विपरीत दृष्टिकोण नहीं अपना सकता था। इसलिए, अधिकरण की पुनर्विलोकन की शक्तियों से परे है।

सीधी भर्ती वाले कुछ हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजू रामचंद्रन ने श्री बनर्जी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों का समर्थन किया और तर्क दिया कि सेवा न्यायशास्त्र में अभिव्यक्ति 'भर्ती' और 'नियुक्ति' के बीच अंतर है। अभिव्यक्ति 'भर्ती' वास्तविक नियुक्ति आदेश जारी होने से पहले के चरण को दर्शाती है, इसलिए, जब नियम 26 में वर्णित वरिष्ठता नियम में अभिव्यक्ति 'सीधी भर्ती' का उपयोग करते हैं तो यह मानने का कोई औचित्य नहीं है कि यह नियुक्ति का वास्तविक वर्ष है जो वरिष्ठता को नियंत्रित करेगा और इस मामले में अधिकरण का आक्षेपित आदेश कानून की दृष्टि में गलत है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामचन्द्रन के अनुसार, नियमों के नियम 26 में अभिव्यक्ति 'सीधी भर्ती' का तात्पर्य भर्ती की प्रक्रिया की शुरुआत से है जो स्पष्ट और सुनिश्चित है, न कि वास्तविक नियुक्ति की तारीख जिसमें दिए

गए मामलें में कई कारणों से अनिश्चित काल तक देरी हो सकती है और नियम 26 को उस तरीके से समझने का औचित्य नहीं है।

पदोन्नित उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जी.एल. सांघी ने इसके विपरीत तर्क दिया कि नियमों के नियम 26 में प्रयुक्त भाषा साफ और सुस्पष्ट है और उसमें प्रयुक्त शब्दों को स्पष्ट व्याकरणिक अर्थ दिए जाने पर निष्कर्ष अप्रतिरोध्य है कि किसी विशेष वर्ष के दौरान नियुक्त सहायक अभियंताओं की वरिष्ठता इस सिद्धांत पर निर्धारित की जानी चाहिए कि वर्ष के दौरान नियुक्त पदोन्नत व्यक्ति वर्ष के दौरान नियुक्त सीधी भर्ती से वरिष्ठ होंगे, और इसलिए, अधिकरण का आक्षेपित आदेश अखण्डनीय है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सांघी ने आगे तर्क दिया कि भर्ती नियमों में निस्संदेह कोटा प्रदान किया गया है जिसमें सीधी भर्ती द्वारा सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त होने का प्रतिशत और पदोन्नति पर सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त होने का प्रतिशत दर्शाया गया है, लेकिन उस प्रावधान की कोई प्रासंगिकता नहीं है और ना ही इस नियम 26 में शामिल जा सकता है जो सहायक अभियंता के कैडर में नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता को नियंत्रित करता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सांघी ने यह भी निवेदन किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पुनर्विलोकन आवेदन विचारणीय था और अधिकरण द्वारा उस पर उचित रूप से विचारण किया गया था और किसी भी स्थित में मूल आवेदन दायर

करने के उत्तरदाताओं के अधिकार से किसी भी तरह से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

उड़ीसा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी.एन. मिश्रा ने श्री सांघी द्वारा दिये गये तर्कों का समर्थन किया और तर्क दिया कि जैसा कि नियमों के नियम 26 में प्रयुक्त भाषा से स्पष्ट है कि पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण करने के लिए मुख्य तत्व, वह वर्ष् है जिस वास्तविक वर्ष के दौरान सहायक अभियंता के कैडर में नियुक्ति चाहे पदोन्नति से हो या सीधी भर्ती के आधार पर हुई हो। विद्वान अधिवक्ता श्री मिश्रा ने आगे तर्क दिया कि नियम की योजना के अधीन, यह राज्य सरकार है जिसके पास सीधी भर्ती के तहत नियुक्ति के साथ-साथ पदोन्नति के तहत नियुक्ति दोनों के लिए चयन की अंतिम शक्ति है और जब तक उस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है कोई भी व्यक्ति सेवा में भर्ती होने का दावा नहीं किया जा सकता है और जिस वर्ष रिक्तियां उत्पन्न हुईं और उनके विरुद्ध भर्ती की गई वह स्थिति वरिष्ठता निर्धारित करने के उद्देश्य से अप्रासंगिक है। श्री मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि नियम 5 जो सेवा में भर्ती से संबंधित है, जो इस तथ्य का भी द्योतक है कि कोई व्यक्ति सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति के बाद ही भर्ती हुआ माना जा सकता है और इसलिए यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि वरिष्ठता निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए उक्त नियुक्ति से पहले की किसी भी तारीख पर बिल्कुल भी

विचार किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता श्री मिश्रा ने यह भी निवेदन किया कि नियमों के नियम 3 (एफ) में शब्द 'वर्ष' को कैलेंडर वर्ष के रूप में परिभाषित किया गया है और नियम 26 इस आशय से स्पष्ट है कि किसी कैलेंडर वर्ष में पदोन्नति द्वारा और सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किए गए अधिकारियों में से पदोन्नत अधिकारियों को सीधी भर्ती वाले अधिकारियों से वरिष्ठ माना जाएगा, यह मानना तर्कसंगत है कि जब उन्हें सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त किया जाएगा तो वरिष्ठता के उद्देश्य को केवल ध्यान में रखा जाएगा, अन्यथा नहीं।

प्रतिद्वंद्वी की प्रविष्टियों की शुद्धता नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के निर्वचनर निर्भर करेगी और उस उद्देश्य के लिए नियमों की योजना पर ध्यान देना आवश्यक होगा।

नियमावली का नियम 4 कैडर की सामर्थय को दर्शाता है और इसमें सहायक अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक के पद शामिल हैं। नियम 5 सेवा में भर्ती से संबंधित है और नियम 3(ए) में अभिव्यक्ति 'सेवा' को उड़ीसा इंजीनियरों की सेवा के रूप परिभाषित किया गया है ।

नियम 5 के तहत सेवा में पहली नियुक्ति सामान्यतः सहायक अभियंता के पद पर की जानी होती है।

नियम 6 सहायक अभियंता के पद पर भर्ती की रीति से संबंधित है और उक्त नियम के अन्तर्गत उक्त भर्ती आंशिक रूप से नियम 8 से 15 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा और आंशिक रूप से नियम 16 से 18 के अनुसार अधीनस्थ इंजीनियरिंग सेवा और कनिष्ठ अभियंता सेवा से पदोन्नति द्वारा की जाती है।

नियम 7 के तहत सरकार प्रत्येक वर्ष भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या तय करती है और उसमें यह भी प्रावधान है कि रिक्तियों में से उप-सहायक अभियन्ता से पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाले रिक्तिया इस प्रकार होनी चाहिए कि वे अवकाश और प्रशिक्षण सेवा रिजर्व(सुरक्षित) सहित स्थायी और अस्थायी सहायक अभियंताओं और कार्यकारी अभियंताओं के रूप में कार्य करने वालों की संख्या के25% से अधिक नही होने चाहिए। शेष रही रिक्तियों में से 2/3 रिक्तिया कनिष्ठ अभियंता के पद से पदोन्नति द्वारा और शेष सीधी भर्ती से भरी जाएंगी।

नियम 9 सहायक अभियंता की सीधी भर्ती के लिए योग्यता को निर्धारित करता है।

नियम 10 वह प्रक्रिया है जिसे लोक सेवा आयोग को सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित करके अपनाना आवश्यक है।

नियम 11 में आयोग को आवेदन पत्र जमा करने का प्रावधान करता है।

नियम 12 में आयोग द्वारा उन आवेदनों पर विचार करने और उन सभी उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेने का प्रावधान है जो नियुक्ति के लिए उपयुक्त हो सकते हैं।

नियम 13 में कहा गया है कि आयोग वरीयता क्रम में व्यवस्थित चयनित उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा, और उक्त सूची को आयोग की सिफारिशों के साथ सरकार को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

नियम 14 और 14 ए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के पक्ष में आरक्षण से संबंधित है।

नियम 15 में यह प्रावधान है कि उम्मीदवार का अंतिम चयन सरकार द्वारा आयोग द्वारा प्रस्तुत सूची में से किया जायेगा। नियम 15 बी में इस प्रकार चयनित उम्मीदवारों की मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच करवाई जायेगी और चिकित्सकीय रूप से योग्य पाए जाने पर नियुक्ति पत्र जारी किए जा सकेगें।

नियम 16 से 18 उन उम्मीदवारों की पदोन्नति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का प्रावधान करती है जो या तो कनिष्ठ अभियन्ता हैं या अधीनस्थ

अभियन्ता सेवा में है और उनके मामले में भी नियम 18 के तहत अंतिम चयन का अधिकार राज्य सरकार में निहित है।

नियम 19 में सीधी भर्ती वालों के लिए 2 वर्ष की अवधि के परिवीक्षा और पदोन्नति पाने वालों के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा का प्रावधान करता है।

नियम 20 में स्थायीकरण का प्रावधान है।

नियम 26 जो वर्तमान मामले से संबंधित है, वरिष्ठता से संबंधित है। उक्त नियम 26 को विस्तार से उद्धरण करना उचित होगा:-

> "नियम 26-वरिष्ठता-(1) जब अधिकारियों की भर्ती एक ही वर्ष के दौरान पदोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा की जाती है, तो पदोन्नत अधिकारियों को नियुक्ति में शामिल होने की तारीखों के बावजूद सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों से वरिष्ठ माना जाएगा। (2) पदोन्नत अधिकारियों के दो समूह के बीच, जिन्हें उप-सहायक अभियंता के पद से पदोन्नत किया गया है, वे कुल मिलाकर कनिष्ठ अभियंता के पद से पदोन्नत लोगों से वरिष्ठ होंगे।(3) उप-नियम (1) और (2) के प्रावधान के अधीन

अधिकारियों की वरिष्ठता उस क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी जिसमें उनके नाम आयोग द्वारा तैयार की गई सूचियों में दिखाई देंगे।

नियमों के अधीन भर्ती की योजना, जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि सीधी भर्ती के मामले में अंतिम प्राधिकारी राज्य सरकार है, जो लोक सेवा आयोग द्वारा योग्य पाए गए व्यक्तियों और उसके पश्चात मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय रूप से योग्य पाए गए लोगों को नियुक्ति आदेश जारी करती है। यहां तक कि ऐसे नियुक्त व्यक्ति को भी दो साल तक परिवीक्षा से गुजरना पड़ता है और उसके बाद उसे सेवा में स्थायी किया जा सकता है। नियम 26 के अधीन, जो कि पदोन्नत और सीधी भर्ती के बीच पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित करने का नियम है, के अधीन प्रयोग की गई अभिव्यक्ति 'अधिकारीयों को पदोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किया जाता है' का यही अर्थ है कि जब उन्हें राज्य सरकार द्वारा सहायक

अभियंता के रूप में नियुक्त किया जाता है। नियम में कुछ और जोड़ना न तो न्याय के हित में होगा और न ही यह किसी भी तरह से आवश्यक है और यह न्यायालय द्वारा विधि बनाने के समान होगा। विधिके निर्वचन का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि जब क़ानून में इस्तेमाल की गई भाषा स्पष्ट होती है और क़ानून में शब्दों को स्पष्ट व्याकरणिक अर्थ दिया जाता है, तो अंतिम परिणाम न तो मनमाना, तर्कहीन और न ही क़ानून के उद्देश्य के विपरीत होता है, तब न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह क़ानून में प्रयुक्त शब्दों को प्रभावी बनाए क्योंकि कानून बनाने वाले प्राधिकारी के आशय को उसमें प्रयुक्त शब्द सर्वोत्तम रूप से प्रकट करते हैं।इस मामले के उस दृष्टिकोण में हमें सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों के लिए निर्धारित कोटा के सवाल पर जाने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता है और न ही यह पता लगाना आवश्यक है कि किस वर्ष रिक्ति निकली थी जिसके अधीन भर्ती की गई थी। नियमों की योजना के विश्लेषण करने पर, जैसा कि पहले वर्णित किया गया है, हमारा मानना है कि अभिव्यक्ति 'भर्ती' का अर्थ नियुक्त किया जाएगा और नियम 26 में अभिव्यक्ति 'उसी वर्ष के दौरान'

का अर्थ कैलेंडर वर्ष के दौरान होगा और, इसलिए कैलेंडर वर्ष के दौरान भर्ती किए गए सीधी भर्ती वाले उक्त कैलेंडर वर्ष के दौरान भर्ती किए गए पदोन्नति वालों से कनिष्ठ होंगे।

अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बनर्जी ने हालाँकि दृढ़तापूर्वक आग्रह किया कि जब भर्ती नियम सहायक अभियंता के पद पर भर्ती के लिए विभिन्न कोटा प्रदान करते हैं और उन कोटा के विरुद्ध व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, तो वरिष्ठता को उसके अनुसार नियंत्रित किया जाना चाहिए और इसलिए, वर्ष जिसमें रिक्तियां उत्पन्न हुईं और जिनके विरुद्ध भर्ती की गई है, उन्हें परस्पर वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए बनाए गए नियम में शामिल हो जायेगा है । इस तर्क के समर्थन में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निम्न निर्णयों पर भरोसा जताया।

- 1967 (2) सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट 703, एस.जी. जयसिंघानी बनाम भारत संघ और अन्य

- 1976(1) सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट 815, वी.बी. बादामी आदि बनाम मैसूर राज्य और अन्य।

- 1991 सप्प. (2) सुप्रीम कोर्ट केस 551, टी.एन. सक्सेना एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य ।

- 1992 सप्प. (1) सुप्रीम कोर्ट केस 304 ए.एन. सहगल एवं अन्य बनाम राजे राम श्योराण एवं अन्य।

जयसिंघानी के मामले में (सुप्रा) 1952 में बनाए गए वरिष्ठता नियमों के नियम 1(एफ)(iii) की वैधता को अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उक्त नियम सीधी भर्ती वालों और पदोन्नति वालों के । प्रथम श्रेणी ग्रेड ॥ सेवा में प्रवेश करने के पर उनके बीच एक अनुचित वर्गीकरण पर आधारित था। इस न्यायालय ने उक्त तर्क को इस निष्कर्ष पर खारिज कर दिया कि उक्त नियम के तहत द्वितीय श्रेणी में तीन साल का उत्कृष्ट कार्य प्रथम श्रेणी की सेवा में दो साल की परिवीक्षा के समान है और इस मामले के पहलू कि पदोन्नति वालों को सीधे भर्ती वालों के द्वारा उसी वर्ष परिवीक्षा अवधि पूरी करने से अधिक वरिष्ठता दी जाती है, पर विचार किया गया। नियमों के विभिन्न प्रावधानों का गहन विश्लेषण पर यह न्यायालय भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नियम 1(एफ)(iv) एक उचित वर्गीकरण पर आधारित है और अनुच्छेद 14 और 16 के अधीन प्राप्त गारंटी (आश्वासन) का उल्लंघन नहीं करता है। हालाँकि, अपीलकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बनर्जी ने इसी न्यायालय के जयसिंघानी के मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों पर मजबूत भरोसा जताया, जिसके

अधीन अदालत ने कहा था, "हमारी राय है कि नियम 4 के अधीन शक्ति के प्रयोग में भर्ती के दो स्रोतों के बीच भर्ती कोटा तय किया गया है, भारत सरकार के पास स्थिति की जरूरत के अनुसार उस कोटा को बदलने या किसी विशेष वर्ष में अपनी इच्छा और खुशी से कोटा से हटने का कोई विवेक नहीं बचा है, जैसा कि हमने पहले ही संकेत दिया है, कोटा नियम वरिष्ठता नियम से जुड़ा हुआ है और जब तक कोटा नियम का व्यवहार में कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है, तब तक यह मानना मुश्किल होगा कि वरिष्ठता नियम यानी, नियम 1 (एफ) (iii) (iv), अनुचित नहीं है और संविधान का अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नही करता हो"

उपरोक्त का अवलोकन किया गया था जब इस अभियोग पर विचार एवं परीक्षण किया जा रहा था कि कोटा नियम का उल्लंघन करके पदोन्नत लोगों की अत्यधिक भर्ती की गई थी। मौजूदा मामले में सीधी भर्ती वालो अपीलकर्ताओं द्वारा कोई दावा नहीं किया गया है कि पदोन्नति वालों को उनके लिए निर्धारित किए गए कोटा से अधिक सहायक अभियंता के कैडर में भर्ती किया गया है। हम यह मानने की स्थिति में नहीं हैं कि

जयसिंघानी के मामले में इस न्यायालय द्वारा ऐसा कुछ भी कहा गया है कि जब भी किसी भर्ती नियम में विभिन्न फीडर कैडर के लिए कोटा तय किया जाता है तो उक्त कोटा वरिष्ठता नियमों में शामिल हो जाता है और इसी अनुसार से वरिष्ठता का सिद्धांत तय करना होगा। यदि सीधी भर्ती वालों द्वारा यह अभियोग लगाया जाता है कि किसी निश्चित समय पर या एक कैलेंडर वर्ष के दौरान पदोन्नति वालों को नियमों के अधीन उनके लिए उपलब्ध कोटा से अधिक पदोन्नत कर दिया गया था, तो ऐसे पदोन्नति वालों को, जो कोटा से अधिक पाए जाते हैं उनकी पदोन्नति वालों को जाहिर तौर पर नियमों के विपरीत भर्ती होना माना जायेगा और इस तरह उन्हें पद पर कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन मौजूदा मामले में ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है और फलतः विचारणीय प्रश्न उपस्थित नही होता है। हमारे मानने योग्य विचार में जयसिंघानी के मामले में इस न्यायालय के फैसले को एकदृढ नियम निर्धारित करने वाला नहीं माना जा सकता है कि विभिन्न फीडर सवर्गों के लिए एक सेवा में भर्ती के लिए जो कोटा तय किया गया है, उक्त कोटा वरिष्ठता नियम में शामिल हो जाता है।

बादामी के मामले (सुप्रा) में, जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बनर्जी ने इस बात पर दृढ़ता से भरोसा किया कि वास्तव में इस न्यायालय के विचाराधीन क्या था कि क्या सीधी भर्ती वालों को वास्तव में उनके कोटे में उपलब्ध रिक्तियों के खिलाफ भर्ती किया गया था और इस तरह से

पदोन्नति वालों से वरिष्ठ होंगे? इस न्यायालय ने पदोन्नति वालों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उक्त सीधी भर्ती वालों को अस्थायी रिक्तियों के खिलाफ भर्ती किया गया था और यह निर्धारित किया गया कि वे अपने कोटे के लिए रिक्तियों के विरूद्ध भर्ती किए गए हैं, वे वरिष्ठता नियमों के तहत पदोन्नति वालों से वरिष्ठ होंगे। मौजूदा मामले में ऐसी किसी भी शिकायत के अभाव में हम यह समझने में विफल रहे हैं कि उपरोक्त निर्णय नियमों के नियम 26 की व्याख्या करने में कैसे सहायता करेगा।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अगले निर्णय एस टी.एन. सक्सेना के मामले (सुप्रा) पर भरोसा किया। इस मामले में वरिष्ठ विपणन निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती वालों और पदोन्नति वालों के बीच परस्पर वरिष्ठता से संबंधित विवाद इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था और न्यायालय ने एक अपील का निपटारा करते समय प्रारंभिक निर्देश दिए थे। उक्त निर्देशों के अनुसरण में एक नई वरिष्ठता सूची तैयार की गई थी और उस वरिष्ठता सूची पर इस आधार पर आक्षेप किया गया था कि न्यायालय के पूर्व के निर्देशों को सूची तैयार करते समय लागू नहीं किया गया है। मामले का निपटारा करते हुए कोर्ट ने पाया कि वरिष्ठता सूची तैयार करते समय न्यायालय के पूर्व के निर्देशों को ध्यान में नहीं रखा गया था और परिणामस्वरूप सूची रद्द कर दी गई।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बनर्जी ने इस न्यायालय द्वारा प्रकरण डायरेक्ट रिक्रूट्स क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य- 1990 (2) एससीसी 715 में की गई टिप्पणियों पर बहुत अधिक भरोसा किया, जिसका एक भाग सक्सेना के मामले से इस आशय से लिया गया-

> "जब नियुक्तियाँ एक से अधिक स्रोतों से की जाती हैं, तो विभिन्न स्रोतों से भर्ती के लिए अनुपात तय करना अनुमेय है और यदि इस संबंध में नियम बनाए गए हैं, तो साधारणतया इसका कठोरता से पालन किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त प्रस्थापना में कोई विवाद नहीं है और न ही वर्तमान मामले में ऐसा कोई विवाद है कि सहायक अभियंताओं के संवर्ग के पद भरने के न तो कोटा निर्धारित किया गया है और न ही निर्धारित कोटा का उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति होने पर, उपरोक्त निर्णय भी उठाए गए विवाद में कोई सहायता नहीं करता है।

अंतिम मामला ए.एन. सहगल, (सुप्रा) का है, जिस पर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बनर्जी ने भरोसा किया। इस मामले में हरियाणा इंजीनियर्स

क्लास। PWD (सड़क और भवन शाखा) नियम, 1960 की सेवा में सीधी भर्ती वालों और पदोन्नति वालों के बीच पारस्परिक वरिष्ठता पर विचार किया गया। नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नियम 5(2)(ए) के तहत जब सीधी भर्ती के सहायक कार्यकारी अभियंताओं की नियुक्ति के लिए कोटा 50% तय किया गया है और उक्त नियम का परन्तुक राज्य सरकार को 50 प्रतिशत से अधिक सहायक अभियंता को पदोन्नति देने हेतु समक्ष बनाती है, परन्तुक का आशय यह है कि जब तक योग्य प्रत्यक्ष सहायक अभियन्ता, कार्यकारी अभियंता के रूप में नियुक्तियों के लिए उपलब्ध नही होते है तो द्वितीय श्रेणी सेवा से पदोन्नति वालों को कोटे से अधिक कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है लेकिन जिस समय सीधी भर्ती उपलब्ध होगी वे अकेले ही पदों को भरने के हकदार होंगे और पदोन्नति में को उक्त सीधी भर्ती वालों को स्थान देना होगा । और यह स्थिति होने के कारण उन पदोन्नति वालों को, जिन्हें प्रावधान के तहत कोटा से अधिक पदोन्नत किया गया था, सीधी भर्ती वालो पर वरिष्ठता नहीं मिल सकती है जो सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध 50% कोटा के भीतर थे। उपरोक्त मामले का अनुपात भी मौजूदा मामले पर लागू नहीं होगा।यह कहा जा सकता है कि इस निर्णय के परिणामस्वरूप हरियाणा के विधयाकों ने भर्ती नियमों को भूतलक्षी प्रभाव देते हुए संशोधन किया, जैसा इस न्यायालय द्वारा किये गये उपरोक्त निर्वचन से अनुचित कठिनाई हुई और ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसकी

कल्पना नहीं की जा सकती और उक्त बाद के नियम पर भी इस न्यायालय द्वारा एस.एस. बोला और अन्य बनाम बीडी सरदाना- 1997 (8) सुप्रीम कोर्ट केस 522 में तीन सदस्य माननीय न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा विचार किया गया है और नियम को वैध निर्धारित किया गया है। उपरोक्त परिसीमाओं में, हम विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान बनर्जी के उक्त तर्कों कि प्रश्नगत नियमों के अधीन कोटा तय किया जावे तब नियम 26 के अधीन परस्पर वरिष्ठता की व्याख्या करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए है, को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। जैसा कि हम पूर्व में कह चुके है, सीधी भर्ती के अपीलकर्ताओं की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई है कि उनके लिए अनुमेय कोटा से परे कोई अतिरिक्त पदोन्नति हुई है और परिणामस्वरूप ऐसा कोई प्रश्न हमारे समक्ष अवधारण के लिए पैदा नही होता है।

विचार के लिए अगला प्रश्न यह है कि क्या जिस वर्ष में रिक्ति उत्पन्न होती है, इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना किया जावे कि कब भर्ती किया जाता है, उस वर्ष की वरिष्ठता निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए कोई प्रासंगिकता हो सकती है? इस संबंध में श्री बनर्जी का तर्क यह है कि चूंकि अपीलकर्ता को वर्ष 1978 में निकली रिक्तियों के संबंध में सहायक अभियंता के कैडर में भर्ती किया गया था, हालांकि वास्तव में नियुक्ति पत्र मार्च 1980 में ही जारी किया गया था, इसलिए उसे वह वर्ष 1978 में भर्ती

हुआ माना जाना चाहिए और वर्ष 1979 और 1980 के पदोन्नति वालों से वरिष्ठ होगा और वर्ष 1978 के पदोन्नति वालों से कनिष्ठ होगा। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया में उचित रूप से लंबी अवधि लगती है लोक सेवा आयोग आवेदन आमंत्रित करता है, साक्षात्कार लेता है और अंत में उनका चयन करता है उसके बाद सरकार अंतिम निर्णय लेती है, उस वर्ष को नजरअंदाज करना अतार्किक होगा जिसमें रिक्ति निकली थी और जिसके विरुद्ध भर्ती की गई है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि जिस वर्ष रिक्ति निकलती है और जिस वर्ष निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन के लिए अंतिम भर्ती की जाती है, उसके बीच कुछ समय अंतराल होगा, लेकिन इससे न्यायालय को कुछ ऐसा शामिल करने में मदद नहीं मिलेगी जो नियम 26 के तहत वरिष्ठता के नियमों में नहीं है। । नियम 26 के अधीन सीधी भर्ती वालों और पदोन्नति वालों के बीच पारस्परिक वरिष्ठता के निर्धारण के लि वह वर्ष जिसमें रिक्ति निकली और जिस रिक्त के विरूद्ध भर्ती निकाली गई है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें केवल इतना कहा गया है कि कैलेंडर वर्ष के दौरान सहायक अभियंता के कैडर में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति उक्त कैडर में पदोन्नति वालों से कनिष्ठ होंगे। न्यायालय के लिए यह संभव नहीं है कि वह नियम 26 में ऐसा कुछ जोडे और वरिष्ठता का एक नया नियम बनाए। इसलिए, हम इस संबंध में अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बनर्जी के निवेदन से सहमत होने की स्थिति में नहीं हैं।

अपीलकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बनर्जी द्वारा उठाया गया एकमात्र विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अधिकरण द्वारा पुनर्विलोकन के लिए किये गये आवेदन पर विचार करना और अन्ततोगत्वा पहले के फैसले को पलटना उचित था? इस तर्क के समर्थन में इस न्यायालय के निर्णय के. अजीत बाबू एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य -1997 (6) सुप्रीम कोर्ट केस 473 मामले पर भरोसा जताया गया है। उक्त मामले में, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम के प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पुनविर्लोकन का अधिकार केवल उन के लिए उपलब्ध है जो किसी मामले में पक्षकार हैं और यद्यपि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम की धारा 22 में अभिव्यक्ति 'व्यथित महसूस करने वाले व्यक्ति' को एक व्यापक अर्थ दिया गया है, फिर क्या कोई व्यक्ति पूरे मामले का निर्णय अधिकरण द्वारा तथ्यों और परिस्थितियों को सामने रखकर पुनर्विलोकन की मांग कर सकता है। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया पुनर्विलोकन का अधिकार केवल सीमित आधार पर ही संभव है, यद्यपि आदेश 47 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता को कठोरता से लागु नही किया जा सकता है चाहे ऐसा आवेदन मियाद अवधि के भीतर दायर किया हुआ हो। इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि जब अधिनियम की धारा 19 के तहत आवेदन दायर किया जाता है और उक्त आवेदन में शामिल प्रश्न को अधिकरण के कुछ पहले के निर्णयों द्वारा अंतिम रूप तय किया जा चुका होता है, तो अधिकरण को पहले के मामले

में आदेश को ध्यान में रखना आवश्यक है और तदनुसार आवेदन पर निर्णय लें। लेकिन मौजूदा मामले में उत्तरदाताओं, जो पहले की कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे, ने ना केवल पुनर्विलोकन के लिए एक आवेदन दायर किया, बल्कि एक स्वतंत्र आवेदन भी दायर किया और अधिकरण का विचार था कि स्वतंत्र आवेदन पोषणीय नहीं होगा, इसलिए उसने अपने पहले के आदेश का पुनर्विलोकन और आक्षेपित आदेश पारित कर दिया। जबकि अपीलकर्ताओं ने अधिकरण के पुनर्विलोकन किए गए आदेश को चुनौती दी है, उत्तरदाताओं ने अधिकरण के दिनांक 29.10.1994 के आदेश जिसके द्वारा उनके मूल आवेदन संख्या 2335/1992 के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है, सुनवाई योग्य नहीं माना गया है। इस दृष्टि से पूरा विवाद इस न्यायालय के समक्ष है और हमने पक्षों को विस्तार से सुना है और वास्तव में यह सवाल ही नहीं उठता कि पुनर्विलोकन सुनवाई योग्य नहीं है।

हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राजू रामचन्द्रन द्वारा उठाये गये एकमात्र अन्य विवाद जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, का प्रभाव है कि अभिव्यक्ति 'भर्ती' और 'नियुक्ति' की सेवा न्यायशास्त्र में दो अलग-अलग अवधारणाएँ हैं और इसलिए, जब नियम 26 अभिव्यक्ति 'भर्ती' का उपयोग करता है, तो यह नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले का चरण होना चाहिए और तार्किक रूप से इसका अर्थ यह होना

चाहिए कि चयन प्रक्रिया कब शुरू हुई और यह नियम 26 के नियम निर्माताओं का इरादा प्रकट होता है। हालांकि, हम इस तर्क को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हैं कि नियमों की योजना के अधीन नियम 5 और नियम 6 से पता चलता है कि किसी व्यक्ति को केवल सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त होने पर ही सेवा में भर्ती किया कहा जा सकता है। फिर सीधी भर्ती के मामले में भी भर्ती की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब लोक सेवा आयोग नियम 10 के तहत आवेदन आमंत्रित करता है लेकिन जब तक सरकार नियम 15 के अधीन अंतिम चयन नहीं करती है और चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच के बाद उचित आदेश जारी नहीं करती है, तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति को सेवा में भर्ती किया गया। ऐसी स्थिति होने के कारण हमारे लिए यह मानना, मुश्किल है कि वरिष्ठता नियम में शब्द 'भर्ती' का अर्थ तब से लेना चाहिए जब से चयन प्रक्रिया वास्तव में शुरू हुई थी। इसके अलावा उक्त अभिव्यक्ति 'भर्ती' न केवल सीधे भर्ती वालों पर बल्कि पदोन्नति वालों पर भी लागू होती है। सीधी भर्ती के मामले में भर्ती की प्रक्रिया आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित करने के साथ शुरू होती है और पदोन्नत लोगों के मामले में यह नियम 16 के तहत मुख्य अभियंता द्वारा किए गए नामांकन के साथ शुरू होती है। लेकिन सीधी भर्ती एवं पदोन्नतियों, दोनों के मामलों में अंतिम चयन क्रमशः नियम 15 और 18 के तहत राज्य सरकार के पास निहित है और जब तक ऐसा अंतिम चयन नहीं हो जाता और उस पर

उचित आदेश पारित नहीं हो जाते, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यक्ति को सेवा में भर्ती किया गया है। इस मामले को देखते हुए नियम 26 का एकमात्र उचित और तार्किक व्याख्या व्यक्तियों को सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त किये जाने की तारीख, जो कि वरिष्ठता के निर्धारण के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसलिए, श्री राजू रामचन्द्रन का तर्क कायम नहीं रखा जा सकता।

जैसा की उपर कहा गया है उन परिसीमाओं के अधीन अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकारगण अपना-अपना खर्च वहन करेंगें।

सिविल अपील 9108/1995 के निर्णय के परिपेक्ष्य में एस.एल.पी. 7071/1998 से उत्पन्न अपील चलने योग्य नही है और इसलिए इस पर कोई और आदेश पारित करने की आवश्यकता नही है।

अपील निरस्त

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री **अनुभव सिडाना** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।)